

दिनांक-23.12.2025 (मंगलवार) को निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में 04 बड़े जिलों से राजस्व समाहरण की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- संलग्न।

1. खनिज विकास पदाधिकारी, पटना।
2. खनिज विकास पदाधिकारी, रोहतास।
3. खनिज विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद।
4. खनिज विकास पदाधिकारी, गया।

निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में 04 जिलों यथा-पटना, रोहतास, औरंगाबाद एवं गया जिलों से राजस्व समाहरण के अद्यतन स्थिति एवं निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जिलावार समीक्षा की गई एवं निम्न निदेश दिये गये :-

1. जिला खनन कार्यालय रोहतास :-

जिला खनन कार्यालय, रोहतास, सासाराम।								
कुल समाहरण लक्ष्य-42669.49 लाख								
कुल प्राप्ति (21.12.2025) तक-14534.99 लाख (ऑकड़ा लाख में)								
शेष समाहरण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य योजना								
माह	बालू		जप्त बालू से	कार्य विभाग से (विभागवार)	दण्ड से	ईट से	अन्य मद से	कुल
	किस्त से	नीलामी से						
दिसम्बर	2300.00	1500.00 (Block-9A & 9B)	5.00	2800.00	200.00	150.00	1400 (Reject Stone)	
जनवरी	1200.00	0.00	0.00					
फरवरी	0.00	5000.00 (Block-4 & 12)	100.00					
मार्च	38.00	5000.00 (Block-8 & 16)	0.00					
कुल-	3538.00	11500.00	105.00	2800.00	200.00	150.00	1400.00	19693.00

खनिज विकास पदाधिकारी, रोहतास द्वारा माह दिसम्बर, 2025 से मार्च, 2026 तक कुल 19693 लाख रुपये प्राप्ति की कार्य-योजना से अवगत कराया गया।

निम्न निदेश :-

- (i) बालू :- बालू मद में कुल- 3538.00 लाख रुपये की वसूली माह दिसम्बर, 2025 से मार्च, 2026 तक की गई है, जो निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है। इस संबंध में शत-प्रतिशत वसूली करने करने का निदेश दिया गया।

- (ii) बालू नीलामी से :- बालू नीलामी से मात्र 11500.00 लाख रुपये की वसूली की गई है, जो काफी कम है। शेष बालू ब्लॉक को अविलम्ब नीलामी करने का निदेश दिया गया, ताकि इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के विरुद्ध राजस्व प्राप्त हो सके।
- (iii) जप्त बालू से :- जप्त बालू से 105.00 लाख रुपये की वसूली सुनिश्चित की गई है, जो संतोषप्रद नहीं है।
- (iv) कार्य विभाग :- कार्य विभाग से विभागवार 2800.00 लाख रुपये की वसूली सुनिश्चित की गई है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि विभिन्न कार्य विभाग से समन्वय स्थापित कर शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाए।
- (v) दण्ड मद से :- दण्ड मद में मात्र 200.00 लाख रुपये की वसूली की गई है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि सघन छापेमारी अभियान चलाकर दण्ड की वसूली बढ़ाये।
- (vi) ईट मद से :- ईट मद में मात्र 150.00 लाख रुपये की वसूली की गई है, जो काफी कम है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि संचालित ईट-भट्टों एवं अवैध रूप से संचालित ईट-भट्टों से वसूली सुनिश्चित की जाए।
- (vii) अन्य मद :- अन्य मद से 1400.00 की वसूली सुनिश्चित की गई है, जो काफी कम है। सख्त निदेश दिया गया कि अन्य मद से व्यक्तिगत रुचि लेकर वसूली की जाए।

2. जिला खनन कार्यालय, गया :-

जिला खनन कार्यालय, गया।								
कुल समाहरण लक्ष्य- 27921.94								
कुल प्राप्ति माह नवम्बर, 2025 तक- 9102.33								
शेष समाहरण लक्ष्य :- 18819.61 (ऑकड़ा लाख में)								
शेष समाहरण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य योजना								
माह	बालू		जप्त बालू से	कार्य विभाग से (विभागवार)	दण्ड से	ईट से	अन्य मद से	कुल
	किस्त से	नीलामी से						
दिसम्बर, 2025	1133.00	0.00	0.00	500.00	100.00	50.00	0.00	1783.00
जनवरी, 2026	980.37	0.00	50.00	500.00	1000.00	100.00	0.00	2630.37
फरवरी, 2026	1319.85	0.00	0.00	500.00	1000.00	130.00	0.00	2949.85
मार्च, 2026	1603.46	2250.00	0.00	2500.00	2000.00	150.00	0.00	8503.46
कुल-	5036.68	2250.00	50.00	4000.00	4100.00	430.00	0.00	15866.68

खनिज विकास पदाधिकारी, गया द्वारा माह दिसम्बर, 2025 से मार्च, 2026 तक कुल 27921.94 लाख रुपये के विरुद्ध 15866.68 लाख रुपये प्राप्ति के कार्य-योजना से अवगत कराया गया है।

निम्न निदेश :-

- (i) बालू :- बालू मद में कुल- 5036.68 लाख रुपये की वसूली माह दिसम्बर, 2025 से मार्च, 2026 तक की गई है, जो निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है। इस संबंध में शत-प्रतिशत वसूली करने करने का निदेश दिया गया।
- (ii) बालू नीलामी से :- बालू नीलामी से मात्र 2250.00 लाख रुपये की वसूली की गई है, जो काफी कम है। शेष बालू ब्लॉक को अविलम्ब नीलामी करने का निदेश दिया गया, ताकि इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के विरुद्ध राजस्व प्राप्त हो सके।
- (iii) जप्त बालू से :- जप्त बालू से 50.00 लाख रुपये की वसूली सुनिश्चित की गई है, जो संतोषप्रद नहीं है।
- (iv) कार्य विभाग :- कार्य विभाग से विभागवार 4000.00 लाख रुपये की वसूली सुनिश्चित की गई है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि विभिन्न कार्य विभाग से समन्वय स्थापित कर शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाए।
- (v) दण्ड मद से :- दण्ड मद में मात्र 4100.00 लाख रुपये की वसूली की गई है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि सघन छापेमारी अभियान चलाकर दण्ड की वसूली बढ़ाये।
- (vi) ईट मद से :- ईट मद में मात्र 430.00 लाख रुपये की वसूली की गई है, जो काफी कम है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि संचालित ईट-भट्टों एवं अवैध रूप से संचालित ईट-भट्टों से वसूली सुनिश्चित की जाए।
- (vii) अन्य मद :- अन्य मद से 0.00 की वसूली सुनिश्चित की गई है, जो काफी खेदजनक है। सख्त निदेश दिया गया कि अन्य मद से व्यक्तिगत रुचि लेकर वसूली की जाए।

3. जिला खनन कार्यालय, पटना :-

जिला खनन कार्यालय, पटना								
कुल समाहरण लक्ष्य—63940.79 लाख								
कुल प्राप्ति (28.12.2025) तक—20314.26 लाख								
शेष समाहरण लक्ष्य—43626.53								
शेष समाहरण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य योजना								
माह	बालू		जप्त बालू से	कार्य विभाग से (विभागवार)	दण्ड से	ईट से	अन्य मद से	कुल
	किस्त	नीलामी से						
दिसम्बर, 2025	124.56		0.00	13205.12	500.00	297.57	200.00 (Confiscation)	
जनवरी, 2026	122.95	935.84 (Sone-17-A, 22-B, Ganga-3-C & 3-D)	0.00					

फरवरी, 2026	637.00	2138.75 (Sone-13, 22-A, Ganga-1-H & 7-F)	0.00					
मार्च, 2026	3133.00	460.35 (Sone-17-B)	0.00					
कुल	4017.51	3534.94	0.00	13205.12	500.00	297.57	200.00	21755.14

क्र० सं०	नदी का नाम	प्रत्यार्पित/अनीलामीत बालूघाटों की संख्या	बालूघाटों की सुरक्षित जमा राशि	बालूघाटों की प्रतिभूति राशि (25 प्रतिशत राशि)	अभ्युक्ति
1	सोन नदी	9	33636.16	8409.04	
2	गंगा नदी	122	21470.12	5367.53	
3	पुनपुन नदी	1	123.64	30.91	
4	दरधा नदी	2	80.92	20.23	
कुल		134	55310.84	13827.71	

पटना जिलान्तर्गत सोन नदी के प्रत्यार्पित बालूघाटों, गंगा नदी, पुनपुन नदी तथा दरधा नदी के अनीलामीत बालूघाटों की नीलामी प्रक्रिया कराकर विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य में से शेष लक्ष्य (निर्धारित लक्ष्य-63940.79 लाख रू०-प्राप्त हुए समाहरण- 20314.26 लाख-प्राप्त होने वाली समाहरण 21755.14) = 21874.39 लाख रू० करने का आश्वासन खनिज विकास पदाधिकारी, पटना द्वारा दिया गया है।

निम्न निदेश :-

- (i) बालू :- बालू मद में कुल- 4017.51 लाख रुपये की वसूली माह दिसम्बर, 2025 से मार्च, 2026 तक की गई है, जो निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है। इस संबंध में शत-प्रतिशत वसूली करने करने का निदेश दिया गया।
- (ii) बालू नीलामी से :- बालू नीलामी से मात्र 3534.94 लाख रुपये की वसूली की गई है, जो काफी कम है। शेष बालू ब्लॉक को अविलम्ब नीलामी करने का निदेश दिया गया, ताकि इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के विरुद्ध राजस्व प्राप्त हो सके।
- (iii) जप्त बालू से :- जप्त बालू से 0.00 लाख रुपये की वसूली सुनिश्चित की गई है, जो काफी खेदजनक है।
- (iv) कार्य विभाग :- कार्य विभाग से विभागवार 13205.12 लाख रुपये की वसूली सुनिश्चित की गई है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि विभिन्न कार्य विभाग से समन्वय स्थापित कर शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाए।
- (v) दण्ड मद से :- दण्ड मद में मात्र 500.00 लाख रुपये की वसूली की गई है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि सघन छापेमारी अभियान चलाकर दण्ड की वसूली बढ़ाये।

(vi) ईट मद से :- ईट मद में मात्र 297.57 लाख रुपये की वसूली की गई है, जो काफी कम है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि संचालित ईट-भट्टों एवं अवैध रूप से संचालित ईट-भट्टों से वसूली सुनिश्चित की जाए।

(vii) अन्य मद :- अन्य मद से 200.00 की वसूली सुनिश्चित की गई है, जो काफी खेदजनक है। सख्त निदेश दिया गया कि अन्य मद से व्यक्तिगत रुचि लेकर वसूली की जाए।

4. जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद :-

जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद									
कुल समाहरण लक्ष्य-51290.81 लाख									
कुल प्राप्ति (23.12.2025) तक-17863.94 लाख									
शेष समाहरण लक्ष्य-33426.87 लाख									
शेष समाहरण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य योजना									
माह	बालू		जप्त बालू से	कार्य विभाग से (विभागवार)		दण्ड से	ईट से	अन्य मद से	कुल
	किस्त	नीलामी से							
दिसम्बर, 2025	1785	0	-		243.01	50	22.35	-	
जनवरी, 2026	1882	5250	0.35	1.-RCD-200.00 2.-RWD-290.00 3.-NHAI-100.00 4.-BCD-20.00 5.-SoneCannal-200.31	242.8	100	35.55	Nilam-15	
फरवरी, 2026	5219	5250	-	6.-PHED-10.00 7.-LEAO-20.00 8.-Panchyati Raj-200.00 9.-irregation-20.00	245.5	100	40.23	Nilam-15	
मार्च, 2026	4410	8014	-		248	100	44.08	Nilam-15 Soil-100	
कुल	13296	18514	0.35		979.31	350	142.21	145	33426.87

खनिज विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा माह दिसम्बर, 2025 से मार्च, 2026 तक कुल 51290.81 लाख रुपये के विरुद्ध 33426.87 लाख रुपये की प्राप्ति हुई है।

निम्न निदेश :-

(i) बालू :- बालू मद में कुल- 13296 लाख रुपये की वसूली माह दिसम्बर, 2025 से मार्च, 2026 तक की गई है, जो निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है। इस संबंध में शत-प्रतिशत वसूली करने करने का निदेश दिया गया।

(ii) बालू नीलामी से :- बालू नीलामी से मात्र 18514.00 लाख रुपये की वसूली की गई है, जो काफी कम है। शेष बालू ब्लॉक को अविलम्ब नीलामी करने का निदेश दिया गया, ताकि इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के विरुद्ध राजस्व प्राप्त हो सके।

(iii) जप्त बालू से :- जप्त बालू से 0.35 रुपये की वसूली सुनिश्चित की गई है, जो काफी खेदजनक है।

- (iv) कार्य विभाग :- कार्य विभाग से विभागवार 979.31 लाख रुपये की वसूली सुनिश्चित की गई है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि विभिन्न कार्य विभाग से समन्वय स्थापित कर शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाए।
- (v) दण्ड मद से :- दण्ड मद में मात्र 350.00 लाख रुपये की वसूली की गई है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि सघन छापेमारी अभियान चलाकर दण्ड की वसूली बढ़ाये।
- (vi) ईट मद से :- ईट मद में मात्र 142.21 लाख रुपये की वसूली की गई है, जो काफी कम है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि संचालित ईट-भट्टों एवं अवैध रूप से संचालित ईट-भट्टों से वसूली सुनिश्चित की जाए।
- (vii) अन्य मद :- अन्य मद से 145.00 की वसूली सुनिश्चित की गई है, जो काफी कम है। सख्त निदेश दिया गया कि अन्य मद से व्यक्तिगत रुचि लेकर वसूली की जाए।

साथ ही संबंधित खनिज विकास पदाधिकारियों को प्रत्यार्पित बालूघाटों के अविलम्ब नीलामी कराने एवं असंचालित नीलामित बालूघाटों का अनुश्रवण कर अविलम्ब सभी वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करायी जाए एवं इस वर्तमान वित्तीय वर्ष के 2025-26 के समाप्ति के पूर्व बंदोबस्तधारी के साथ नीलामी कर प्रथम किस्त की राशि का भुगतान हर हाल में सुनिश्चित कराया जाए।

(अनु०:-खनिज विकास पदाधिकारी, रोहतास, गया, पटना एवं औरंगाबाद)

सभी संबंधित जिलों को शेष समाहरण लक्ष्य माहवार एवं प्रत्येक दिनवार कार्य योजना बनाकर समाहरण लक्ष्य शत-प्रतिशत प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

(अनु०:-खनिज विकास पदाधिकारी, रोहतास, गया, पटना एवं औरंगाबाद)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०/-

(मनेश कुमार मीणा)

निदेशक, खान

ज्ञापांक :-268...../एम०, पटना, दिनांक :- 08/01/26.....

प्रतिलिपि :- माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/संयुक्त सचिव/अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी (मु०/रोहतास, गया, पटना, औरंगाबाद/आई०टी० प्रबंधक खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव